



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक सितम्बर 01, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 341 वाहनों का चालान किया गया व 05 वाहनों से 4500/- रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1. अभियुक्ता रन्झा देवी पत्नि रामलाल नि0 मदनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 07 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2. अभियुक्त प्रमोद पटेल पुत्र श्री रामचन्द्र नि0 करैला अजगहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1. अभियुक्ता खुदरी देवी पत्नि सीताराम नि0 जंगल मुलरिहर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1. अभियुक्त चन्दन केसरी पुत्र भगवती नि0 जखिरा थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 225/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त शिवधर निषाद पुत्र रिसई नि0 कोल्हुआ थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध कच्ची देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर व 2. अभियुक्ता अनिता देवी पत्नि प्रेमलाल नि0 लोहेकर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 24 शीशी अवैध कच्ची देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र पंचम नि0 पिपरिया थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त पंचम पुत्र जोखन नि0 पिपरिया थाना चौक के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1.अभियुक्त गंगासागर पुत्र गगन नि0 व थाना सोहगीबरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1. अभियुक्त सूरज प्रजापति पुत्र निरंजन नि0 नेहरू नगर थाना कोतवाली के कब्जे से 750 ग्रा0 गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 390/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर2.अभियुक्त बबलू साहनी पुत्र बलवन्त नि0 वार्ड न0 6 गांधीनगर पिपरदेउरा थाना कोतवाली के कब्जे से 810 ग्रा0 गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त मुन्ना प्रसाद पुत्र स्व0 लालचन्द नि0 छातीराम के कब्जे से 850 ग्रा0 गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना पुरनदरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त रमेश यादव पुत्र ध्रुव नि0 लेहड़ा थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 550 ग्रा0 गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गिरीश कुमार पुत्र स्व0 सिध्दू प्रसाद नि0 बकैनिया हरैया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से अवैध नशीली दवाएं बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/22 धारा 3/21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र कृष्ण प्रसाद नि0 हरखपुर थाना हरखपुर राष्ट्र नेपाल के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद कर थाना परसामलिक पर मु0अ0सं0 96/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संजय पाण्डेय पुत्र बद्री नि0 सिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1. अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 6 बोरी खाद व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दुर्गेश पुत्र रामलक्षन नि0 खैरहवा दूबे थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 06 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना बरगदवां पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 10 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 50 बोरी यूरिया व एक अदद पिकअप बरामद कर थाना नौतनवां पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विशाल वर्मा पुत्र संतोष नि० रुधौली भावचक थाना कोतवाली 2. रिजवान पुत्र मोनू नि० कूर्वान कुरैशी नि० बैकुण्ठपुर कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज 3. मोनू पुत्र उमर नि० सावना थाना कोतवाली के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त साजिद पुत्र निजामुद्दीन 2. निजामुद्दीन पुत्र इस्माईल नि० चनकौली थाना कोठीभार के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1.अखिलेश यादव पुत्र महेन्द्र 2.दिनेश यादव पुत्र महेन्द्र नि० खजुरिया 3.रोशन पुत्र त्रिलोकी नि० जगरनाथपुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 31-08/01-09.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 50 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।